



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-29032022-234603
CG-CG-E-29032022-234603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380]

No. 1380]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

बिलासपुर, 21 मार्च, 2022

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ड के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1422(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चाप अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 30 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का आ. 5478(अ) 23 दिसम्बर 2021 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "राजनन्दगाँव — नागपुर तीसरी लाईन (228 किमी) परियोजना", के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् भंडारा पत्रिका एवं किसान महिमा (भंडारा संस्करण) तारीख 14 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना " राजनन्दगाँव –नागपुर तीसरी लाईन (228किमी) परियोजना ", भंडारा जिले, महाराष्ट्र राज्य के लिए, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला — भंडारा

राज्य महाराष्ट्र

सं.क.	गाँव का नाम	धारक का नाम	सर्वे नं	भूधारण पद्धति	7 / 12 / समानुपात कुल क्षेत्र (हे.आर. / चौ.मी.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर. / चौ. मी)
1	2	3	4	5	6	7
1	स्टेशनटोली	आषी चांगो वैदय, धृपती प्रभु निमकर, पार्वती सिताराम कारेमोरे, अनिल जैराम खोब्रागडे, जैराम आत्माराम खोब्रागडे	87	वर्ग 2	0.47	0.47
2	स्टेशनटोली	आषी चांगो वैदय, धृपती प्रभु निमकर, पार्वती सिताराम कारेमोरे, अनिल जैराम खोब्रागडे, जैराम आत्माराम खोब्रागडे	89	वर्ग 2	0.12	0.06
कुल —					0.59	0.53

[फा. सं: सीई/सी/एन.जी.पी/आरजेएन—केएवी तीसरी लाईन/आरओआर/एसपीएल /आरएलवाइ प्रोजेक्ट]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS (South East Central Railway)

Bilaspur, the 21st March, 2022

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 1422(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 5478(E), dated the 23rd December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 30th December, 2021 and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely "Rajnandgaon-Nagpur 3rd Line (228 KM) Project" in Bhandara District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Bhandara Patrika & Kisan Mahima (Bhandara Edition) of dated 14th January, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures for the Special Railway Project “Rajnandgaon-Nagpur 3rd Line (228 KM) Project” in Bhandara District in the State of Maharashtra.

District - Bhandara

State – Maharashtra

Sr. No.	Name of the village	Name of the Land holder	Survey No.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R./sq.m.)	Acquisition area (H.R./sq.m.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Station Toli	Aashi Chango Vaidya, Ghrupati Prabhu Nimkar, Parbati Sitaram Karemore, Anil Jairam Khobragadhe, Jairam Atmaram Khobragadhe	87	Class 2	0.47	0.47
2	Station Toli	Aashi Chango Vaidya, Ghrupati Prabhu Nimkar, Parbati Sitaram Karemore, Anil Jairam Khobragadhe, Jairam Atmaram Khobragadhe	89	Class 2	0.12	0.06
Total -					0.59	0.53

[F.No. CE/C/NGP/RJN-KAV 3rd line/ROR/SPL/RLY Project]

R.N.SUNKAR, Chief Administrative Officer (Const.),